नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 372/2021
Dt-20-9-2021

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 3/एम॰—22/2021 सा॰प्र॰ 9831 दिनांक 2.9.2021 के संबंध में।

महाशय,

मैंने अपने कार्यालय पत्रांक 252/2021 दिनांक 27.7.2021 के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्रवाई की जानकारी देने के संबंध में पत्र प्रेषित किया था। पत्र के प्रत्युत्तर में मुझे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 3/एम॰—22/2021 सा॰प्र॰ 9831 दिनांक 2.9.2021 के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है। सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

विषयांकित पत्र के कंडिका—7 में वर्णित है कि **"उपर्युक्त कंडिका 3,4,5 एवं 6 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके विचाराधीन पत्र में किए गए अनुरोध के संदर्भ में सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश पूर्व से ही निर्गत है"**

सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिए गए पूर्व के दिशा निर्देशों के आलोक में सरकार के विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप ही आपका ध्यान आकृष्ट कराने हेतु मैंने पत्र प्रेषित किया था। दिशा निर्देश का अनुपालन कराना सामान्य प्रशासन विभाग की ही जिम्मेवारी बनती है। मेरे द्वारा पत्र लिखने का आशय यह है कि दिसंबर 2020 से अब तक मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों को प्रेषित 110 पत्रों के कृत कार्रवाई की जानकारी तो दूर पत्र प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी गई। (सूची संलग्न है)

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्र सं॰ 8841 दिनांक 20.6.2012 में स्पष्ट उल्लेखित है कि **"यदि संसद सदस्य अथवा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा विभागाध्यक्षों अथवा जिला के अधिकारियों से सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु सीधे पत्राचार किया जाता है, तो ऐसे पत्रो पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें अपने विभाग से संबंधित ऐसी सूचना जिसे दिया जाना उनके प्राधिकार में हो, लिखित रूप में शीघ्रता से उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए तथा सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजते हुए उन्हें एक अंतरिम उत्तर तत्काल दिया जाना चाहिए।"**

आप सहमत होंगे कि पत्र में वर्णित **"पूर्व से ही पत्र निर्गत है"** के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत करना मात्र ही समाधान नहीं है, बल्कि उनका अनुपालन आवश्यक है।

आग्रह है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्र सं॰ 8841 दिनांक 20.6.2012 का अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitish Mishra
20.9.21

(नीतीश मिश्रा)
ईमेल—mla-jjpur-bih@nic.in

संलग्न—यथोक्त।

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in